ISSN: 2349 – 4891
ISSN: 2349 - 4891
International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

" भारत में महिलाएँ समाज के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में "

शोध निर्देशक, डॉ रिशिकेष यादव
श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प्र
शोधार्थी, प्रीती साहू
श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प्र

Abstract

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से हैं जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। 19वीं शताब्दी की अत्याचार विरोधी अभियान और इसके नेता राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो कठोर जेहाद छेड़ा, उसके परिणाम–स्वरूप अन्ततः 1829 में सती प्रथा का पालन करने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। राजा राममोहन राय बहुविवाह के विरोधी थे और उन्होंने महिलाओं को जायदाद में हक देने पर भी जोर दिया। इसके अलावा अन्य सुधारकों– डी.एन.टैगोर, ईश्वर चन्द विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने महिला उत्थान के लिए कठिन प्रयत्न किए। इन समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर बल देने और बाल विवाहों को रोकने के लिए इन्होंने जन आंदोलनों और जन चेतना का सहारा लिया। इन सुधारकों द्वारा किए गए लगातार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सरकार ने कड़े विरोध के बावजूद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। बाल विवाह के खिलाफ के.सी. सेन के प्रयत्नों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया। हालांकि, यह आंदोलन शुरू में देश के कोने–कोने तक नहीं पहुंचा और उच्च वर्ग की पढ़ी–लिखी महिलाएँ ही इसमें शामिल थी। दूसरे यह आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इस तरह घुल–मिल गया था कि इसे अलग से देख पाना मुश्किल था। बीसवीं शताब्दी की तीसरा दशक आते–आते तो देश में आजादी की लहर इतनी तीव्र हो गई थी कि किसी भी आंदोलन को अलग से उठा पाना न तो संभव था और न उचित ही था। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि बहुत जरूरी है और भागीदारी में बढ़ोतरी के लिए इस आंदोलन इसका प्रमुख उद्देश्य है ।

1.1 प्रस्तावना

19वीं एवं 20वीं सदी के प्रारम्भ में भारत में हुए धर्म सुधारकों ने भारतीय समाज के उत्थान के लिये भारतीय नारी के उत्थान को आवश्यक बता दिया था। निश्चित रूप से इससे भारतीय नारी समाज में कही न कही जागरण की भावना आयी वरन् भारतीय नारी समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होने लगा था। 19वी

सदी में समूचे भारत में आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा था।

निष्क्रिय रूोंके की तरह नये विचारों ने दस्तक दी और ऐसे ही माहौल मे स्त्रियों की दयनीय स्थिति की तरह भी ध्यान गया और यह स्पष्ट रूप से माना गया कि यदि महिलाओं की दशा नही सुधरती है तो, न तो भारत की दशा किसी तरह सुधरेगी न उसका किसी तरह का कल्याण होगा, इसलिये पुर्नजागरण के अग्रणी नेता राजा राम मोहन राय ने इस प्रचलित विचार का विरोध किया कि स्त्रियों में पुरूषों से बुद्धि कम होती ह वर्ष 1850 ई. में विष्णुशास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज स्थापित किया और उसे एक वर्ष बाद ही अर्थात 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना मे लड़कियों के लिये स्कूल खोला। इन चीजों ने उस जरूरी माहौल को बनाने का कार्य किया जिसमें स्त्री शिक्षा, स्त्री प्रगति, की न केवल बात की जा सकती थी वरन् उनके लिये आवष्यक रूप से वास्तविक धरातल पर भी कुछ किया जा सकता था। भारत के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी जिनका समाज पर अच्छा प्रभाव था उन्होंने भी नारी जागरण क` लिये अनुकुल माहौल बनाने का कार्य किया। स्वामी दयान ंद सरस्वती और उनकी संस्था आर्य समाज ने पुरजोर तरीके से महिलाओं को हर क्षेत्र में न केवल भागीदारीता देने की बात की वरन् दयानंद सरस्वती ने धार्मिक दृष्टि से महिलाओं की निम्न स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्हें यज्ञ करने यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों को भी साधीकार पढ़ने का अधिकार देकर धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियां और पुरूषों में अन्तर को समाप्त किया।इसी समय महिलाओं की संस्थाएँ भी शुरु हुई, जिनमें अखिल भारतीय महिला परिषद (1926), वीमन्स कौंसिल (1920) तथा राज्य स्तरीय संगठन जैसे गुजरात में ज्योति संघ (1934) और महाराष्ट्र में हिन्दू वीमन्स रेस्क्यू सोसाइटी (1927) व रतन टाटा इ ंडस्ट्रियूट (1938) प्रमुख है। (1917 से 1947) के बीच देश में कई महिला संगठनों का एक साथ उदय हुआ। इन सभी संगठनों की गतिविधियों भी विस्तृत थी। इससे महिला नेतृत्व में और अधिक निखार आ गया था। महिला उत्थान की गतिविधियों को भावनात्मक और सतर्कता से उठाया जाने लगा था। आजादी के राजनैतिक आंदोलन में महिलाओं के जुड़ जाने से महिलाओं को नई ताकत मिली थी। अब वे अपने उत्थान की लड़ाई का नेतृत्व स्वयं करने के काबिल हो गई थीं। इस तरह एक वास्तविक महिला आंदोलन शुरू हुआ। इन महिलाओं ने स्त्री पुरुष समानता को अपने आंदोलन का विषय बनाया क्योंकि असमानमा ही अब तक होने वाले अत्याचारों और हि ंसा की जड़ थी। हालांकि, यह आंदोलन शुरू में देश के कोने–कोने तक नहीं पहुंचा और उच्च वर्ग की पढ़ी–लिखा महिलाएँ ही इसमें शामिल थी। दूसरे यह आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इस तरह घुल–मिल गया था कि इसे अलग से देख पाना मुश्किल था।भारत के महिला आन्दोलन में ब्रिटिशकाल की विदेशी महिलाओं का योगदान भी सराहनीय रहा हैं। विदेशी महिला श्रीमती डॉना मार्कससेन की ही बात कर ले तो इन्होनें कलकत्ता तथा हैरामपुर में लड़कियों के लिये स्कूलों की स्थापना करके नारी शिक्षा के

क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया और सबसे दिलचस्प बात यह थी। तात्कालीन गवर्नर जर्नल लार्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन ने भी डॉना मार्कससेन के प्रयासो का पूर्ण समर्थन किया। औपनिवेशिक सामाजिक ढ़ाँचे में महिला की भूमिका महिला आन्दोलनो के प्रभाव पष्चिम से, पश्चिमी जगत से अलग रहे है भारत में महिलाओं की भूमिका अलग तरीके से सामने आयी और खासकर जब एक नारीवादी संगठन ने महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत सर्वे किया। यह रिपोर्ट कहती है कि 18वीं, 19वीं शताब्दी में महिलओं के ऊपर अत्याचार, धृणा और उनका उत्पीड़न बदस्तुर जारी था और इसमें ठहराव या बदलाव की गुनजाइश तभी थी जब महिलाओं के हक में कोई बड़ा आन्दोलन खड़ा किया जाये। भारत में नारी जागरण का पहला दौर पुरूषों द्वारा शुरू किया गया। निश्चित रूप से हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी जैसा कि हम ऊपर लिख आये है। इस आन्दोलन ने बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त किये थे, जैसे–सती प्रथा, उन्मूलन, विधवा पुर्नविवाह, बाल–विवाह पर अंकुश लगाना, के साथ–साथ इन्होंने महिलाओं की अशिक्षा और निरक्षता को कम करने की ओर ध्यान दिया और इसके लिये यदि जरूरत पड़ी तो उन्होनें संघर्ष करने में कोई हिचक नहीं रखी। हालांकि महिलाओं के स्तर में सुधार लाने का प्रभाव थोड़ा सा धीमा पड़ गया क्योकि भारत में उसमें राजनीतिक आन्दोलन भारत को स्वतंत्र बनाने के लिये एक बड़ा रूप लेने लगा था। महिलाओं के इस दौर को हम पहला दौर कह सकते है और इसको 1850 से 1915 के कालखण्ड में से रखा जा सकता है। भारत में स्त्रियों की पतनावस्था के निम्नलिखित कारण हैं –

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा–

किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना,महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70: विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

लैंगिक समानता

लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव (चवेपजपअम कपेबतपउपदंजपवद)

के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है ताकि उनके संचयी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाने (अनुच्छेद 15) और विधि के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का मूल अधिकार प्राप्त है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिये यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे।

कन्या भ्रूण हत्या

आमतौर पर मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है। बेटे की इच्छा परिवार नियोजन के छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जुडती है और दहेज की प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहाँ बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इसलिए समाज के अगुआ लोग माँ के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं। इस तरह के अनाचार ने मानवाधिकार, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है। गर्भ से लिंग परीक्षण जाँच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रुप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है।

दहेज प्रथा

दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है।

हालाँकि इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है।

महिलाओं के साथ भेदभाव

भारत में हिंसा के सबसे अधिक केस महिलाओं से ही जुड़े होते हैं। जिनका रूप कुछ भी हो सकता है। हालांकि पुरूष प्रधान इस देश में हमेशा महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंका जाता है। उसे कमजोर, असहाय और अबला समझ कर उसके साथ कभी दोयम दर्जे का तो कभी जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। पुरुषवादी समाज उसे बेटी के रूप में पैतृक संपत्ति से भी वंचित रखना चाहता है। जबकि परिवार में बेटी एक दायित्व के रूप में होती है। इसके बावजूद घर के लड़कों से उसे कमतर समझा जाता है। उसका मुकाम पुरूषों से नीचे और अधीनस्थ ही माना जाता है। इसीलिए लड़कियों को शिक्षा के साथ उसके निर्णय क्षमता का समाज में कोई स्थान नहीं था। उसका सम्मान किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ज्यादातर कम साक्षरता दर वाले राज्यों में अधिक देखने को मिलते हैं। जिन राज्यों में साक्षरता दर अधिक है वहां भेदभाव और हिंसा के मामले कम दर्ज हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण केरल और लक्षद्वीप है जहां महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में महिला शिक्षा के लिए मुख्य बाधा स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी का होना है। देश के कई छोटे शहरों में माहवारी के समय लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं। धीरे धीरे यही प्रवृति उसे स्कूल से दूर करती चली जाती है। हालांकि इस संबंध में कई राज्य सरकारों द्वारा सकारात्मक कदम उठाते हुए स्कूलों में सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है, जो लड़कियों के ड्राप आउट के आंकड़ा को कम करने में कारगर सिद्ध हो रहा है।

निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता – आन्दोलन का इतिहास स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष की अदभुत गाथा है। इस संघर्ष में पुरूषों और महिलाओं ने समान रूप से भाग लिया। भारतीय महिलाओं का योगदान इसमें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका सामाजिक उत्थान हुए बहुत लंबा समय व्यतीत नहीं हुआ था। घर का मोर्चा हो या राजनीति का रणक्षेत्र , महिलाओं ने जिस साहस , सहिष्णुता और वीरता से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई , वह इतिहास की धरोहर है।

उपसंहार

महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता समर की प्रत्येक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्त्रियों के द्वारा अपने लिए मताधिकार की माँग को लेकर लड़ना हो या देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात हो , स्त्रियों ने सभी क्षेत्रों में पूरी तत्परता के साथ काम किया। वैदिक काल के बाद भले ही नारी इस समय पुरुषों से अनेक क्षेत्रों में पीछे थी लेकिन इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। असंख्य महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ही आजादी का यह महान आंदोलन सक्रिय बन पड़ा। स्त्रियों ने देश के प्रति प्रेम भावना का परिचय देते हुए व उसे स्वतंत्र कराने के लिए सभी तरीको से अपना योगदान दिया। शांति प्रिय आंदोलनों से लेकर क्रांतिकारी आन्दोलनों में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अपने आप को विविध आयामों के साथ प्रस्तुत किया।

सन्दर्भ

1. राधाकुमार : स्त्री संघर्ष का इतिहास
2. डा॔0 के0एम0 मालती – स्त्री विमर्श भारतीय प्रतिप्रेक्ष्य में
3. सुमित सेन – उद्धत, आलेख स्त्री स्मिता : उभरते सवाल, शोध 2003, पृ0 87, संपादन डॉ0 श्याम सुन्दर
4. राधाकुमार – स्त्री संघर्ष का इतिहास
5. विमला मेहता – आज की महिलाए, पराग प्रकाशन दिल्ली, 1975, पृ0 128
6. डा॔0 के0एम0 मालती – स्त्री विमर्श भारतीय प्रतिप्रेक्ष्य में
7. कमला नाथ अरबन वुमेन वर्क्स 1965, ए प्रेलिमिनटी स्टडी द इकोना॓मिक वीकली
8. सा॓निमा गुप्ता – सामाजिक क्रांति क॓ दस्ताव॓ज, पृ0 187
9. राधाकुमार – स्त्री संघर्ष का इतिहास
10. सा॓निमा गुप्ता – सामाजिक क्रांति क॓ दस्ताव॓ज, पृ0 187